रामेश्वर वगै. बनाम जगदीश वगै.
मुकदमा नम्बर 88 / 2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 88 / 2022

वादीगणः–

1. रामेश्वर पुत्र हणमानाराम जाति कुम्हार(प्रजापति)
2. प्रभातीलाल पुत्र हणमानाराम जाति कुम्हार(प्रजापति)
3. मोहनीदेवी पत्नि हणमानाराम जाति कुम्हार(प्रजापति)
4. राजेन्द्र पुत्र हणमानाराम जाति कुम्हार(प्रजापति)
   निवासीयान ग्राम जीजोट तहसील कुचामन सिटी।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. जगदीश पुत्र बोदूराम जाति कुम्हार(प्रजापति)
2. श्रवण कुमार पुत्र बोदूराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासीयान ग्राम जीजोट तहसील कुचामन सिटी।
3. उप पंजीयक चितावा तहसील कुचामन सिटी।
4. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी (भूमिधारी)।

<u>दावा वास्ते हस्तकरार हक, भू–विभाजन</u>
<u>अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादीगण
श्री राजेश कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

<u>निर्णय</u>

दिनांक : 09.09.2023

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम जीजोट पटवार हल्का जीजोट तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 393 रकबा 1.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.76 हैक्टर कुल रकबा 1.93 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। वादी संख्या 1 रामेश्वरलाल का 1/12 वां हिस्सा व वादी संख्या 2 प्रभातीलाल का 1/12 वां हिस्सा, वादी संख्या 3 मोहनीदेवी का 1/12 हिस्सा, वादी संख्या 4 राजेन्द्र का 1/12वां हिस्सा अर्थात प्रत्येक वादीगण का 0.16083 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। उक्त भूमि का वादीगण एव प्रतिवादीगण ने काफी वर्षो पूर्व आपसी सहमति से मौके पर काबिज होकर बटवारा कर रखा हैं उसी अनुसार उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। वादी एवं प्रतिवादी [illegible] उक्त भूमि में काबिज [illegible]दार चले आ रहे हैं। इसी अनुसार नाप चौक करके भू–विभाजन कर सेपरेट हॉल्डिंग कायम किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 14:50:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

जाना आवश्यक हैं। उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण आपसी सहमति से मौके पर भू–विभाजन कर रखा हैं एवं आपसी सहमति से बंटवारा कर रखा हैं जो कब्जा अधिकारों की भूमि चली आ रही हैं इसलिए उक्त भूमि की खातेदारी वादी प्राप्त करने के कानूनन मुस्तहक हैं। ग्राम जीजोट पटवार हल्का जीजोट तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 393 रकबा 1.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.76 हैक्टर कुल रकबा 1.93 हैक्टर भूमि में से वादी संख्या 1 रामेश्वरलाल का 1/12 वां हिस्सा यानि 0.16083 हैक्टर व वादी संख्या 2 प्रभातीलाल का 1/12 वां हिस्सा यानि 0.16083 हैक्टर, वादी संख्या 3 मोहनीदेवी का 1/12 हिस्सा यानि 0.16083 हैक्टर, वादी संख्या 4 राजेन्द्र का 1/12वां हिस्सा यानि 0.16083 हैक्टर भूमि का मौके पर काविज अुनसार भू–विभाजन किया जावें एवं हक हिस्सेनुसार काविज खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिक्री फरमाकर मौके पर काविज अनुसार मौके पर कटाणी रास्ता दर्शाते हुए भू–विभाजन कर सेपरेट हॉल्डिंग कायम किया जाने का आदेश तहसीलदार नावां को प्रदान करने की इस्तदुआ की।

वादीगण का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 का तामील शुदा प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 2 के जरिये रजिस्टर्ड डाक सम्मन भिजवाये जाने के वावजूद अनुस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमावत ने इकवाली जवाव मय कांउटर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जीजोट पटवार हल्का जीजोट तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 393 रकबा 1.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 397 रकवा 0.76 हैक्टर कुल रकवा 1.93 हैक्टर भूमि में से वादी संख्या 1 रामेश्वरलाल का 1/12 वां हिस्सा यानि 0.16083 हैक्टर व वादी संख्या 2 प्रभातीलाल का 1/12 वां हिस्सा यानि 0.16083 हैक्टर, वादी संख्या 3 मोहनीदेवी का 1/12 हिस्सा यानि 0.16083 हैक्टर, वादी संख्या 4 राजेन्द्र का 1/12वां हिस्सा यानि 0.16083 हैक्टर भूमि का मौके पर काविज अुनसार भू–विभाजन किया जावें एवं प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश की 1/2 हिस्सा यानि 0.64 हैक्टर भूमि का वाद नाप चौक करके राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अनुसार भू–विभाजन किया जावें एवं हक हिस्सेनुसार काविज खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिक्री फरमाकर मौके पर काविज अनुसार मौके पर कटाणी रास्ता दर्शाते हुए भू–विभाजन कर सेपरेट हॉल्डिंग कायम किया जाने का आदेश तहसीलदार नावां को प्रदान किया जावें तो इसमें जवावकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हैं वल्कि मेरी पूर्ण सहमति हैं। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध किसी भी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहते हैं इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 का नाम हटाया जावें। प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 का नाम हफ्ज किया गया। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादिया मोहनीदेवी व पी.डब्ल्यू.2 गवाह लालचन्द्र पुत्र फतूराम जाति कुमावत निवासी जीजोट तहसील कुचामन सिटी व पी.डब्ल्यू. 3 गवाह राजेन्द्रसिंह पुत्र वन्नाराम जाति गुर्जर निवासी जीजोट तहसील कुचामन सिटी के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये। ओर साक्ष्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 14:50:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

पेश नहीं करना चाहने पर साक्ष्य वादी बंद की गई। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। तहसीलदार कुचामन सिटी से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु सहमत होने पर तहसीलदार कुचामन सिटी से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार कुचामन सिटी ने बंटवारा प्रस्ताव पेश किया।

उभयपक्षकारान की अंतिम बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार ग्राम जीजोट पटवार हल्का जीजोट तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 393 रकबा 1.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.76 हैक्टर कुल रकबा 1.93 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि का भू–विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 1 का काउंटर क्लेम स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम जीजोट पटवार हल्का जीजोट तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 393 रकबा 1.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.76 हैक्टर कुल रकबा 1.93 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित अनुसार खसरा नम्बर 393 रकबा 1.17 हैक्टर में से 0.6375 हैक्टर व खसरा नम्बर 397 रकबा 0.0325 हैक्टर भूमि का वादीगण रामेश्वर, प्रभातीलाल, राजेन्द्र, मोहनीदेवी को खातेदार काश्तकार तथा मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित अनुसार खसरा नम्बर 393 रकबा 1.17 हैक्टर में से 0.5325 हैक्टर व खसरा नम्बर 397 रकबा 0.0275 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित कर भू–विभाजन किया जाता हैं तथा बंटवारा प्रस्ताव में अंकित रास्ते को शामलाती रखते हुए गै.मु. रास्ता घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार कुचामन सिटी को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश करने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09.09.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत में लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)
उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 14:50:18 IST
Reason: SelfAttested

अदालतः— उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला डीडवाना—कुचामन, राज.

अज अदालत :— श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीगणः—

1. रामेश्वर पुत्र हणमानाराम जाति कुम्हार(प्रजापति)
2. प्रभातीलाल पुत्र हणमानाराम जाति कुम्हार(प्रजापति)
3. मोहनीदेवी पत्नि हणमानाराम जाति कुम्हार(प्रजापति)
4. राजेन्द्र पुत्र हणमानाराम जाति कुम्हार(प्रजापति)
   निवासीयान ग्राम जीजोट तहसील कुचामन सिटी।

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. जगदीश पुत्र बोदूराम जाति कुम्हार(प्रजापति)
2. श्रवण कुमार पुत्र बोदूराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासीयान ग्राम जीजोट तहसील कुचामन सिटी।
3. उप पंजीयक चितावा तहसील कुचामन सिटी।
4. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी (भूमिधारी)।

मुकदमां नम्बर :— 88 / 2022 निर्णय दिनांक :— 09.09.2023

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादीगण एवं श्री राजेश कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 को डिक्री दी जाती हैं कि :—

वादीगण का वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 1 का काउंटर क्लेम स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम जीजोट पटवार हल्का जीजोट तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 393 रकबा 1.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.76 हैक्टर कुल रकबा 1.93 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित अनुसार खसरा नम्बर 393 रकबा 1.17 हैक्टर में से 0.6375 हैक्टर व खसरा नम्बर 397 रकबा 0.0325 हैक्टर भूमि का वादीगण रामेश्वर, प्रभातीलाल, राजेन्द्र, मोहनीदेवी को खातेदार काश्तकार तथा मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित अनुसार खसरा नम्बर 393 रकबा 1.17 हैक्टर में से 0.5325 हैक्टर व खसरा नम्बर 397 रकबा 0.0275 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित कर भू—विभाजन किया जाता हैं तथा बंटवारा प्रस्ताव में अंकित रास्ते को शामलाती रखते हुए गै.मु. रास्ता घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार कुचामन सिटी को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। उपतहसीलदार चितावा को तहरीर जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21.09.2023 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखतः

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी, नावां

नावां (डीडवाना-कुचामन)

मुदेई	रूपये	पैसे	गुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा	NIL	NIL
मीलान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 14:50:18 IST
Reason: SelfAttested